प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

रिट याचिका (227) क्रमांक 1209 वर्ष 2009

याचिकाकर्ता / कुलराज सिंह

आवेदक : विरुद्ध

उत्तरवादी : सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं अन्य

एवं

रिट याचिका (227) क्रमांक 1071 वर्ष 2009

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता / मथनलाल जेम्स

आवेदक : विरुद्ध

उत्तरवादी : सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं अन्य

आदेशों की उद्घोषणा हेतु 16 सितम्बर, 2010 के दिन सूचीबद्ध करें ।

हस्ताक्षरित/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

रिट याचिका (227) क्रमांक 1209 वर्ष 2009

याचिकाकर्ता / आवेदक : कुलराज सिंह

विरुद्ध

उत्तरवादी : सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं अन्य

एवं

रिट याचिका (227) क्रमांक 1071 वर्ष 2009

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता / आवेदक मथनलाल जेम्स

विरुद्ध

उत्तरवादी : सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं अन्य

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत दायर रिट याचिकाएँ)

एकल पीठ : माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति

उपस्थित :- श्री राजा शर्मा, अधिवक्ता, याचिकाकर्ताओं की ओर से।

श्री शशांक ठाकुर, पैनल अधिवक्ता, राज्य की ओर से।

आदेश

(दिनांक 16 सितम्बर, 2010 को प्रदत्त)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. रिट याचिका (227) क्रमांक 1209 एवं 1071 वर्ष 2009 में समान विधिक प्रश्न तथा समान तथ्य सम्मिलित हैं, अतः इन दोनों याचिकाओं का निपटारा इस सामान्य आदेश द्वारा किया जा रहा है। तथापि, इस आदेश के प्रयोजन हेतु, रिट याचिका (227) क्रमांक 1209 वर्ष 2009 में उल्लिखित तथ्यों का संदर्भ लिया जा रहा है।

2. वर्तमान याचिकाओं में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत, याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 19-12-2008 (अनुलग्न पी/1) द्वारा पारित आदेश की वैधता एवं विधिकता को चुनौती दी है, जो कि राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, छत्तीसगढ़, रायपुर (संक्षेप में "एस.टी.ए.टी.") द्वारा अपील क्रमांक

87 एवं 86 वर्ष 2008 में पारित किया गया था, जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं द्वारा दिनांक 5-11-2008 के आदेशों के विरुद्ध दायर अपीलें निरस्त कर दी गईं।

3. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रिट याचिका (227) क्रमांक 1209 वर्ष 2009 में, याचिकाकर्ता को राज्यांतरीय परमिट प्रदान किया गया था — राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) से चंद्रपुर (महाराष्ट्र) तक, मार्ग डोंगरगांव, घोवकी, मोहला, मानपुर, गढ़चिरौली होते हुए तथा वापसी एकल यात्रा हेतु, आदेश दिनांक 4-4-2008 के अनुसार, जो दिनांक 26-7-2008 को जारी हुआ, पाँच वर्षों की अवधि के लिए अर्थात् 1-8-2008 से 31-7-2013 तक। परमिट की शर्त क्रमांक 8 यह थी कि परमिट धारक किसी अन्य समान प्रकृति एवं क्षमता वाले वाहन से उक्त वाहन को प्रतिस्थापित कर सकता है, यदि उसे अनुमति प्रदान की जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता ने उपर्युक्त शर्त के विरुद्ध एस.टी.ए.टी. के समक्ष अपील दायर की। एस.टी.ए.टी. ने आदेश दिनांक 13-8-2008 (अनुलग्न – पी/3) द्वारा यह स्पष्ट किया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में "एम.वी. अधिनियम") के 1-7-1989 से प्रभावी होने के पश्चात्, अधिनियम की धारा 83 वाहन के

प्रतिस्थापन का प्रावधान करती है, जिसमें "प्रकृति एवं क्षमता" निर्दिष्ट नहीं की गई है — शब्द "क्षमता" हटा दिया गया है। अतः, उक्त शर्त को इस सीमा तक संशोधित किया गया कि परमिट धारक प्राधिकरण की अनुमति से समान प्रकृति के किसी अन्य वाहन से वाहन का प्रतिस्थापन कर सकता है।

5. तत्पश्चात्, याचिकाकर्ता ने परमिट के अंतर्गत वाहन प्रतिस्थापन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें पूर्व वाहन क्रमांक **CG**-04-**E**-9007, जिसकी बैठक क्षमता 35 + 1 थी (संक्षेप में "प्रथम वाहन"), के स्थान पर वाहन क्रमांक **CG**-04-**E**-3931, जिसकी बैठक क्षमता 27 + 1 थी (संक्षेप में "द्वितीय वाहन"), को प्रतिस्थापित करने का आवेदन किया गया था, जो कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 83 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. राज्य परिवहन प्राधिकरण ने आदेश दिनांक 5-11-2008 द्वारा याचिकाकर्ता के आवेदन को अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि प्रथम वाहन एक डीलक्स वाहन था जिसकी बैठक क्षमता 35 + 1 थी, तथा पंजीयन पुस्तिका के अनुसार, वह वाहन "भारी यात्री मोटर वाहन" (**Heavy Passenger Motor Vehicle**) की परिभाषा में आता है, क्योंकि उस वाहन का सकल भार (संक्षेप में

"G.V.W.") 15430 किलोग्राम था। द्वितीय वाहन का सकल भार 11000 किलोग्राम था, अतः वह **"**मध्यम यात्री मोटर वाहन**"** (**Medium Passenger Motor Vehicle**) की परिभाषा में आता है। **"**हल्का मोटर वाहन**"** (**Light Motor Vehicle**) का अर्थ वह परिवहन वाहन अथवा ओम्निबस होता है, जिसका सकल भार 7500 किलोग्राम से अधिक न हो। चूँकि प्रथम वाहन, जिसे द्वितीय वाहन से प्रतिस्थापित करने का आवेदन किया गया था, 15430 किलोग्राम **G.V.W.** का था, तथा द्वितीय वाहन का **G.V.W.** 11000 किलोग्राम था, अतः आवेदन अस्वीकार कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. उक्त आदेश से आक्रोशित होकर, याचिकाकर्ता ने एस.टी.ए.टी. (**STAT**) के समक्ष अपील प्रस्तुत की। एस.टी.ए.टी. के अध्यक्ष ने सभी पक्षों पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि **"**समान प्रकृति**"** का अर्थ केवल यात्री बस या कार नहीं है, बल्कि वाहन के आकार एवं भार से है। भले ही **"**बैठक क्षमता**"** शब्द को हटा दिया गया हो, परंतु प्रथम वाहन, जिसे याचिकाकर्ता द्वितीय वाहन से प्रतिस्थापित करना चाहता है, समान प्रकृति का नहीं था क्योंकि उसका भार समान नहीं था। प्रथम वाहन का **G.V.W.** 15430 किलोग्राम था, जबकि द्वितीय

वाहन का 11000 किलोग्राम। अतः प्रथम वाहन "भारी यात्री मोटर वाहन" की प्रकृति का था जबकि द्वितीय वाहन "मध्यम यात्री मोटर वाहन" की प्रकृति का। फलस्वरूप, एस.टी.ए.टी. ने माना कि राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 5-11-2008 को पारित आदेश यथोचित एवं न्यायसंगत था और उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. चूँकि दोनों रिट याचिकाओं के तथ्य समान हैं, केवल मार्ग एवं बस संख्या में अंतर है, अतः अन्य याचिका के तथ्यों पर विस्तार से चर्चा आवश्यक नहीं है। वैसे भी, इस न्यायालय को विधि के प्रश्न पर निर्णय देना है, न कि विवादरहित तथ्यों पर।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. श्री शर्मा, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि याचिकाकर्ता प्रथम वाहन (डीलक्स) को द्वितीय वाहन से प्रतिस्थापित करना चाहता था। चूँकि "क्षमता" शब्द को प्रावधान से हटा दिया गया है, अतः यह आवश्यक नहीं था कि दोनों वाहनों की बैठक क्षमता समान हो अर्थात् 35 + 1। द्वितीय वाहन, जिसे प्रतिस्थापन हेतु प्रस्तावित किया गया था, भी एक डीलक्स वाहन था, केवल बैठक क्षमता कम थी। अतः वाहन की "प्रकृति" में कोई अंतर

नहीं था। दोनों वाहन यात्री डीलक्स बसें थीं, इसलिए एस.टी.ए.टी. द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत नहीं है और उसे निरस्त किया जाना चाहिए।

10. श्री शर्मा, अधिवक्ता, ने अपने तर्क के समर्थन में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय यशोधरा कदम्बा कर्नाटक स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल पर निर्भरता जताई, और कहा कि एक बार जब **"क्षमता"** शब्द को प्रावधान से हटा दिया गया, तब **"प्रकृति"** का अर्थ बैठक क्षमता को सम्मिलित नहीं करता। उन्होंने गीता बी राव सेक्रेटरी कर्नाटक स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी तथा फहीमुनिस्सा एडिसनल सेक्रेटरी रीजनल ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटी के निर्णयों पर भी अवलंब लिया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. दूसरी ओर, श्री ठाकुर, राज्य की ओर से उपस्थित पैनल अधिवक्ता, ने यह निवेदन किया कि परमिट जारी करने वाला प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ राज्य और महाराष्ट्र राज्य के मध्य हुए राज्यांतरीय समझौते की शर्तों से बाध्य है। एस.टी.ए.टी. ने अपने अधिकारों का विधिसम्मत उपयोग करते हुए यथोचित आदेश पारित किया। प्रथम वाहन, जिसके लिए परमिट जारी हुआ था, की बैठक क्षमता 35 + 1 थी, जबकि याचिकाकर्ता उसे 27 + 1 बैठक क्षमता वाले द्वितीय

वाहन से बदलना चाहता है, जिससे राज्य को राजस्व की क्षति हो सकती है और आम जनता को असुविधा भी। साथ ही, मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, याचिकाकर्ता केवल समान प्रकृति के वाहन से ही प्रतिस्थापन कर सकता है और वह भी पूर्व अनुमति प्राप्त कर। दोनों वाहनों की प्रकृति भिन्न थी — प्रथम वाहन **"**भारी यात्री मोटर वाहन**"** था जबकि द्वितीय वाहन **"**मध्यम यात्री मोटर वाहन**"**।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. मैंने पक्षकारों के अधिवक्ताओं के तर्को को सुना है याचिकाओं एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया।

13. प्रथम वाहन के मामले में, उसका सकल भार (**G.V.W.**) 15000 किलोग्राम से अधिक था, जबकि द्वितीय वाहन का 11000 किलोग्राम था। दोनों में स्पष्ट रूप से पर्याप्त अंतर विद्यमान है।

14. **"**प्रकृति**"** शब्द का अर्थ विभिन्न शब्दकोशों में इस प्रकार परिभाषित किया गया है —

1) **"प्रकृति"** — चरित्र, प्रकार या वर्ग (रैंडम हाउस

वेबस्टर कॉलेज शब्दकोश)।

2) **"प्रकृति"** — चरित्र, प्रकार या वर्ग (वेबस्टर एनसाइक्लोपीडिक अनअब्रिज्ड शब्दकोश)।

3) **"प्रकृति"** — किसी व्यक्ति या वस्तु का विशिष्ट तत्व, स्वभाव आदि; किसी विशेष गुण या चरित्र वाली वस्तु या व्यक्ति; प्रकार, श्रेणी या वर्ग (शॉर्टर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी – पाँचवाँ संस्करण)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. **गीता बी. राव (पूर्वोक्त** के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह अवधरित किया है :

"9..... सर्वप्रथम, धारा के अर्थ की सामान्य समझ के अनुसार, इसका अभिप्राय समान प्रकार के वाहन से है, अर्थात् एक यात्री वाहन। इसका तात्पर्य केवल इतना है कि एक पर्यटक वाहन (**Tourist Vehicle**) को स्टेज कैरिज (**Stage Carriage**) या मालवाहक

वाहन (**Goods Vehicle**) से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। अन्य शब्दों में, वाहन का 'चरित्र' परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अभिप्रेत अर्थ यह है कि वाहन की मूल विशेषता (**characteristic**) बनी रहनी चाहिए।

10..... युक्तिसंगत संभावना यह होगी कि विधायिका का उद्देश्य केवल वाहन की **प्रकृति (nature)** पर विचार करना था, न कि उसकी **बैठक क्षमता (seating capacity)** पर। किसी भी स्थिति में, प्रतिवादियों के अधिवक्ता का यह तर्क नहीं था कि वाहन की प्रकृति, अधिनियम की धारा 59(2) के अंतर्गत अनुमति प्रदान करने हेतु उपयुक्त नहीं है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए **फहीमुनिस्सा (पूर्वोक्त)** के निर्णय, जिसका उल्लेख याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने किया, इस

मामले में प्रासंगिक नहीं है। उस प्रकरण में शर्त कुछ प्रस्ताव (**resolution**) के आधार पर लगाई गई थी, तथा माननीय एकल पीठ (तत्कालीन न्यायमूर्ति) ने यह प्रतिपादित किया था कि परमिट का अनुदान संबंधित नियमों द्वारा नियंत्रित होगा, न कि प्राधिकरणों द्वारा पारित किसी प्रस्ताव से।

17. अत्यंत सम्मानपूर्वक कहा जाता है कि **गीता बी. राव (पूर्वोक्त** के निर्णय में "समान प्रकृति" शब्द को अत्यंत संकीर्ण अर्थ में परिभाषित किया गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि "प्रकृति" की परिभाषा में "क्षमता" को सम्मिलित नहीं किया गया है। "प्रकृति" का अर्थ है **चरित्र, प्रकार या वर्ग (character, kind or sort)**। अतः, वाहन की **सकल भार क्षमता (G.V.W.)** एवं **प्रकार (kind)** — ये दोनों तत्व वाहन की प्रकृति निर्धारण में प्रमुख विचारणीय हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. "भारी यात्री मोटर वाहन", "हल्का मोटर वाहन" तथा "मध्यम यात्री मोटर वाहन" की परिभाषाएँ इस प्रकार हैं —

धारा 2(17) — *"भारी यात्री मोटर वाहन"* का अर्थ है कोई भी लोक सेवा वाहन (**public service**

vehicle), निजी सेवा वाहन (**private service vehicle**) अथवा शैक्षणिक संस्था की बस अथवा ओम्निबस, जिसका सकल वाहन भार (**Gross Vehicle Weight**) अथवा मोटर कार का शुद्ध भार (**unladen weight**) 12,000 किलोग्राम से अधिक हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

धारा 2(21) — *"हल्का मोटर वाहन"* का अर्थ है कोई भी परिवहन वाहन या ओम्निबस, जिसका सकल वाहन भार 7,500 किलोग्राम से अधिक न हो, अथवा कोई मोटर कार, ट्रैक्टर या रोड रोलर, जिसका शुद्ध भार 7,500 किलोग्राम से अधिक न हो।

धारा 2(24) — *"मध्यम यात्री मोटर वाहन"* का अर्थ है कोई भी लोक सेवा वाहन, निजी सेवा वाहन अथवा शैक्षणिक संस्था का वाहन, परंतु इसमें मोटरसाइकिल, विकलांग रथ (**invalid carriage**), हल्का मोटर

वाहन या भारी यात्री मोटर वाहन सम्मिलित नहीं हैं।

19. **1939 अधिनियम की धारा 59(2)**, दिनांक 2-3-1970 तक, इस प्रकार थी —

"परमिट धारक, परमिट जारी करने वाले प्राधिकरण की अनुमति से, परमिट में निर्दिष्ट वाहन को समान प्रकृति एवं क्षमता वाले किसी अन्य वाहन से प्रतिस्थापित कर सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. **1939 अधिनियम की धारा 59(2)**, दिनांक 2-3-1970 के बाद से 1-7-1989 तक, इस प्रकार संशोधित हुई —

"परमिट धारक, परमिट जारी करने वाले प्राधिकरण की अनुमति से, परमिट में सम्मिलित किसी वाहन को समान प्रकृति के किसी अन्य वाहन से प्रतिस्थापित कर सकता है।"

21. शब्द **"क्षमता" (capacity)** को अधिनियम से दिनांक 2 मार्च 1970 से

विलोपित कर दिया गया है। जैसा कि उपर्युक्त रूप से प्रतिपादित किया गया है, प्रथम वाहन एवं द्वितीय वाहन की प्रकृति परस्पर भिन्न है।

22. उपर्युक्त कारणों के परिणामस्वरूप, दोनों ही रिट याचिकाएँ गुण-दोष से रहित (निराधार) पाई गई हैं, अतः इन्हें निरस्त किया जाता है।

23. व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं कियाजाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By: Aastha Verma